कार्यालय परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना महासमुंद ग्रामीण, जिला महासमुंद (छ.ग.)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक 867 बा.वि.परि./स्था./2026–27 महासमुंद दिनांक 19/11/2026।

संचालनालय महिला एंव बाल विकास विभाग छ0ग0 इन्द्रावती भवन ब्लाक –01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक/**IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/** नवा रायपुर दिनॉक 05/1/2026 के द्वारा आ0बा0 कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना महासमुंद ग्रामीण अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पदों के भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाऐं (उसी ग्राम/पारे/टोले की निवासी) ई–भर्ती पोर्टल **URL-https://aww.e-bharti.in/** में दिनांक **19/11/2026 से 03/12/2026 तक ऑनलाईन** आवेदन कर सकती है। आवेदन की समस्त प्रकिया ई–भर्ती पोर्टल के **user manual** में दर्शित है, जिसका उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है, निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

रिक्त पद का विवरण इस प्रकार हैं –

क.	केन्द्र नाम व कमांक	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम
01	ठुमसा	ठुमसा	बोडरा	कार्यकर्ता

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवश्यक अर्हतायें–

01. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।
02. यह पद पूर्णतः मानसेवी है तथा अशासकीय पद है ।
03.आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी । आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी । गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी । (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी। 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी।)। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा । अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा ।
04. आवेदिका प्राथमिकता से उसी ग्राम की होगी । जिस ग्राम में आंगनाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिये । आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नालिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

क. उस ग्राम /नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें ।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

05. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगी –

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड अथवा 11 वी बोर्ड उत्तीर्ण

06. आवेदन के साथ अंकसूची/प्रमाण पत्र सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है

07. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यह शपथ पत्र देना होगा कि छः महीने में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

08. विधवा एवं परित्यकता महिला को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी किन्तु तत्संबंध में सक्षम आदेश प्रस्तुत करना होगा , जिसमें –

(क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

01. संबधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/ नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम /नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्सद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत करे।

अथवा

02. न्यायलय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन ओदश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) पत्यिक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

09. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 2011 की जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त वंचन सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा तथा परिवार ड्राप सूची की छायाप्रति भी सलंग्न करना अनिवार्य होगा । राशन कार्ड की प्रति जिसमें कार्ड धारी के नाम के साथ आवेदिका का नाम प्रदर्शित हो।

10. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

11. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

12. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना,
महासमुंद ग्रामीण जिला–महासमुंद(छ.ग.)

पृ.क 867 बा.वि.परि./स्था/2026–27 **दिनॉक 19/11/2026 ।**

प्रतिलिपि :–

01. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एंव बाल विकास विभाग महासमुन्द को सादर सूचनार्थ।
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुंद की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
03. माननीय सभापति/सदस्य महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य समिति जनपद महासमुंद की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
04. सरंपच /सचिव ग्राम पंचायत बोडरा को सादर सूचनार्थ
05. संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना महासमुंद की ओर सूचनार्थ ।
06. कार्यालय परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना महासमुंद एवं जनपद पंचायत महासमुंद के सूचना फलक हेतु ।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना,
महासमुंद ग्रामीण जिला–महासमुंद(छ.ग.)।